

6488 | रा०पा० | १५० ६ | ११२०१३

12(2)

प्र०जीकृत

(3)

RECEIVED

30 OCT 2013

अध्यक्ष
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- ६१८/XVIII(1)/2013-2(9)/2013

देहरादून: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

उम्मीदवाले संविवेचन

1.

अध्यक्ष

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निनित जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला बागेश्वर में "शामा" मुख्यालय के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर "शामा" ज्ञात नाम से एक नई उप तहसील सूचित करने और विद्यमान तहसील कपकोट की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

१- अनुसूची

अनुसूची

नवसूचित उप तहसील शामा में सम्मिलित तहसील कपकोट के ग्रामों की सूची

क्र०सं०

ग्राम का नाम

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) / लेखपाल क्षेत्र का नाम

1.

2

3

1.

कीमू

लीती

2.

कोटीबुला

3.

लीती लग्गा डागूगाड़

4.

गोगिना

5.

स्यूणी दलानी

6.

रातिरकेटी

7.

मल्खाडुगार्चा

8.

जैती

9.

हाम्टीकापड़ी

10.

लीती

11.

नानी पन्याली

12.

शामा

शामा (आंशिक)

13.

शैली शामा

14.

सीरी

15.

बड़ी पन्याली

16.

रमाडी

17.	भनार	माजखेत
18.	माजखेत	
19.	चुचेर	
20.	ठेली	
21.	कफलकोट	
22.	कनोली	
23.	कालापैर कापड़ी	नामतीचेटाबगड़
24.	कैचुवा	
25.	धन्याण	
26.	लाथी	
27.	गुन्ठी	
28.	नामतीचेटाबगड़	
29.	ल्वेटा	
30.	भदेणा	
31.	लामाघर	
32.	सुखचौना	
33.	भलौड़ी	
34.	खेती	
35.	किसमिला मछेरा	
36.	भकुना	

आज्ञा से,

Sekhri
(भास्करानन्द)
सचिव

आ— / XVIII(1)/2013 एवं तददिनांक।

लिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से त कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड—ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित सूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

/
(भास्करानन्द)
सचिव

(32)